

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान सरकार बनाम २५ (क)	नंबर व अहकाम हुकम व में जारी
------------	---	---------------------------------------

27 ² / ₂₀	मुकदमा नं० 521/18 निर्णय दि० २५/११/२०..... फावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। 6 नवंबर पेश किया। प्रार्थना पत्र 6 नवंबर पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। फावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि राजस्वरिकॉर्ड नमाबंदी गैरमुमकिन रास्ता पत्र है। प्रार्थना पत्र और 6 नवंबर शारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। उपर्युक्त प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जास्ता दिवस का वकील वही द्वारा जवाब पेश किया। प्रार्थना पत्र 7 नवंबर 11 पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। फावली का अवलोकन किया। वही कामना किया। विवादित भूमि जब राजस्वरिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता पत्र है तो प्रार्थना पत्र 251(क) राज. कास्टकरी डाक. के तहत पेश करने के आवश्यक कैसे हुई। यह धारा 170 रास्ता पत्र भी होने की स्थिति में रास्ता लेने हेतु या रास्ता पत्र करने के लिये हैं। उपर्युक्त में तो पूर्व से ही रास्ता पत्र है हेतु स्थिति में प्रार्थना पत्र 7 नवंबर 11 खारिज किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र 251(क) खारिज किया जाये योग्य है। डा. प्रार्थना पत्र 251(क) राज. कास्टकरी डाक. नियम खारिज किया जाता है प्रार्थना पत्र यदि तो भूमि खसरा नं० 199 200 का 0.33 है मेट्रिक वूमि रामा देवी तं० सिकराय के यहाँ अधिकतम हटवाने के लिये सक्षम प्रार्थना पत्र अधिकारी (तं० सिकराय) के यहाँ कार्यवाही कर सकता है। निर्णय प्रत्यक्ष से लिखाया जाये
---------------------------------	---

शामिल फावली दिया गया। फावली फावली सुना लेंगे
 नंबर से कम है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाये
 कुल न्यायलय में सुनाया गया। इतना लिखने पर प्रार्थना
 द्वारा प्रार्थना पत्र कायम मुकाम और 22 नवंबर 3 जास्ता
 दिवस पेश किया।

